भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1083

दिनांक 25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में असमानता

†1083. श्री के. गोपीनाथः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राज्यों, विशेषकर वंचित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा वित्तपोषण में अत्यधिक असमानता को दूर करने के लिए क्या
उपाय किए जा रहे हैं;
(ख) क्या सरकार, यह देखते हुए कि भारत का स्वास्थ्य सेवा व्यय सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1.8 प्रतिशत है, वैश्विक औसत को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य सेवा व्यय बढ़ाने की योजना बना रही है;
(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विशेषज्ञों द्वारा उजागर की गई वर्तमान कमियों को देखते हुए, सरकार का किस प्रकार स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और पहुँच में सुधार करने का इरादा है; और
(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या जवाबदेही तंत्र मौजूद हैं कि राज्य अपने बजट में स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दें?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): समतामूलक, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफ़डब्ल्यू) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यान्वयन कर रहा है। सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, और विशेष रूप से वंचित एवं हाशिए पर पड़े समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण
स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुँच में सुधार हेतु तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

राज्यों से उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

की संसाधन उपलब्धता और मौजूदा मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं।

एनएचएम के अंतर्गत, स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना और मानव संसाधनों के संदर्भ में आवश्यकता-आधारित अंतक्षेप को संबोधित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों के लिए मानदंडों में ढील दी गई है:

- जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना और जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में उप-स्वास्थ्य केंद्र (एसएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए; जनसंख्या मानदंडों को क्रमशः 5,000, 30,000 और 1,20,000 से 3000, 20,000 और 80,000 तक कम किया गया है;
- सामान्य क्षेत्रों में प्रति 1000 जनसंख्या पर एक आशा के मानदंड के सापेक्ष, जनजातीय/पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति बस्ती एक आशा; और
- मैदानी क्षेत्रों में प्रति जिला 2 मोबाइल चिकित्सा इकाइयों (एमएमयू) के मानदंड की तुलना में, जनजातीय/पहाड़ी/दुर्गम/दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में प्रति जिला 4 एमएमयू।

15 नवंबर, 2023 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम जनमन) के अंतर्गत, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) क्षेत्रों के लिए एनएचएम मानदंडों में और छूट प्रदान की गई है, जैसे प्रति जिला 10 एमएमयू, अतिरिक्त एएनएम और बहुउद्देश्यीय केंद्र, और पीवीटीजी क्षेत्रों में लाभार्थी संतृप्ति।

इसके अलावा, स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देने वाली कुछ प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

- **एनएचएम** एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के तीन स्तंभों के रूप में एसएचसी (ग्रामीण), पीएचसी (शहरी और ग्रामीण) और सीएचसी (शहरी और ग्रामीण) के साथ एक त्रि-स्तरीय प्रणाली शामिल है।

- **प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम)**: पीएम-एबीएचआईएम देश भर में भविष्य में किसी भी महामारी और प्रकोप का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और अनुक्रिया करने के लिए स्वास्थ्य परिचर्या अवसंरचना को मजबूत करने हेतु 64180 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक है। योजना की अवधि 5 वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक है। इसमें केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्र दोनों घटक शामिल हैं।

- **प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई):** यह योजना (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना; और (ii) मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेज/संस्थानों के उन्नयन हेतु सहायता प्रदान करती है।

- **मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना:** इस केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करना है।

- **15वाँ वित्त आयोग (एफ़सी-XV):** एफ़सी-XV ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है।

भारत के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2021-22 के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (जीएचई) 2014-15 में 1.13% से बढ़कर 2021-22 में 1.84% हो गया है। केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (सीएसएस) राज्यों को अपने बजट में स्वास्थ्य परिचर्या के लिए धनराशि निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

*****